तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

पेट्रोलियम और खनिज तेलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

विधेयक में मुख्य विशेषताएँ:

खनिज तेलों की विस्तारित परिभाषा:

इसमें सभी हाइड्रोकार्बन (प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, शेल गैस और कोल-बेड मीथेन) शामिल हैं।

कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को शामिल नहीं किया गया है।

पेट्रोलियम पट्टे की शुरूआत:

खनिज तेलों की खोज, उत्पादन और निपटान जैसी गतिविधियों को कवर करने वाले "खनन पट्टे" को "पेट्रोलियम पट्टे" से बदल दिया गया है।

मौजूदा पट्टे वैध बने रहेंगे।

अपराधों का गैर-अपराधीकरण:

कारावास की जगह जुर्माना: उल्लंघन के लिए ₹25 लाख और लगातार उल्लंघन के लिए ₹10 लाख प्रतिदिन।

नियम बनाने की शक्तियाँ:

केंद्र सरकार पर्यावरणीय दायित्वों, उत्सर्जन में कमी और विवाद समाधान तंत्र पर नियम निर्धारित कर सकती है।

न्यायिक निर्णय तंत्र:

संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा दंड का निर्णय; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देशित अपील।

महत्व:

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देता है: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी: स्पष्ट पट्टा विनियमन और कम दंड के साथ निजी निवेश को आकर्षित करता है।

पर्यावरणीय जिम्मेदारी: उत्सर्जन में कमी और संधारणीय प्रथाओं के लिए नियम पेश करता है।

नियामक सरलीकरण: गैर-अपराधीकरण व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाता है।

आधुनिकीकरण: शेल गैस जैसे अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन को संबोधित करके वैश्विक ऊर्जा रुझानों के साथ संरेखित करता है।

चुनौतियाँ

राज्य के अधिकार: पट्टे की शब्दावली में बदलाव के कारण राज्यों के कराधान अधिकारों पर संभावित विवाद।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: निजी संस्थाओं को संसाधन सौंपने से अत्यधिक निष्कर्षण या पारिस्थितिकी को नुकसान हो सकता है।

कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे: पर्यावरण और उत्सर्जन मानदंडों का प्रभावी प्रवर्तन चुनौतियों का सामना कर सकता है।

नियामक ओवरलैप: रॉयल्टी संग्रह और पट्टे की मंजूरी के लिए केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय।

निष्कर्ष:

तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक, 2024, पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए भारत के नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करता है, जिससे घरेलू उत्पादन और निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि, संतुलित विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण और राज्य कराधान संबंधी चिंताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा

क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डिजिटल गवर्नेंस में पहलों के कारण हाल के वर्षों में भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव आया है। आधार, यूपीआई और डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म के नेतृत्व में, देश अब डिजिटल अपनाने में वैश्विक नेता है।

भारत की डिजिटल क्रांति के बारे में:

आधार: 138.34 करोड़ नामांकन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली, जो निर्बाध प्रमाणीकरण को सक्षम बनाती है।

यूपीआई: 24,100 करोड़ लेन-देन (जून 2024 तक) के साथ डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

डिजिलॉकर: 37 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं वाला क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म, जो सुरक्षित दस्तावेज़ भंडारण और सत्यापन को सक्षम बनाता है।

डिजिटल ज्ञान साझाकरण: दीक्षा ने 556.37 करोड़ से ज़्यादा शिक्षण सत्र आयोजित किए हैं।

क्लाउड इकोसिस्टम: मेघराज और एनआईसी क्लाउड सेवाओं जैसे प्लेटफ़ॉर्म ई-गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करते हैं।

भारत की डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने वाले ऐप:

· उमंग: 207 विभागों की 2,077 सेवाओं को एकीकृत करता है, सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

· मेरी पहचान: 132 करोड़ लेन-देन वाला सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) प्लेटफ़ॉर्म।

· एपीआई सेतु: 312 करोड़ लेन-देन का समर्थन करने वाले 6,000 से ज़्यादा एपीआई के साथ डेटा एक्सचेंज की सुविधा देता है।

· ई-हस्ताक्षर: दस्तावेज़ प्रमाणीकरण के लिए 81.97 करोड़ डिजिटल हस्ताक्षर सक्षम करता है।

· ई-संजीवनी: टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म 12.4 करोड़ से अधिक परामर्शों के साथ स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार कर रहा है।

महत्व:

नागरिकों को सशक्त बनाता है: UPI और डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म सेवाओं में पहुँच और समावेशिता सुनिश्चित करते हैं।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है: डिजिटल बुनियादी ढाँचा ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और नवाचार का समर्थन करता है।

शासन को बढ़ाता है: ई-ऑफिस और डिजीलॉकर के माध्यम से कागज रहित शासन के साथ लालफीताशाही को कम करता है।

वैश्विक प्रभाव: ग्लोबल साउथ के लिए डिजिटल समाधानों में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है।

जलवायु-अनुकूल: कागज के उपयोग को कम करता है और ऊर्जा-कुशल डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ:

डिजिटल विभाजन: ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच का सामना करना पड़ता है।

साइबर सुरक्षा जोखिम: बढ़ते साइबर खतरे सुरक्षित लेनदेन और डेटा गोपनीयता के लिए चुनौतियाँ पेश करते हैं।

बुनियादी ढाँचे की कमी: दूरदराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त डिजिटल बुनियादी ढाँचा पहुँच को सीमित करता है।

कौशल की कमी: डिजिटल साक्षरता की कमी प्लेटफार्मों के प्रभावी उपयोग में बाधा डालती है।

इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दे: विभागों और राज्यों में प्रणालियों को एकीकृत करने में चुनौतियाँ।

सीमाएँ

कनेक्टिविटी अंतराल: ग्रामीण भारत में सीमित ब्रॉडबैंड पहुँच समावेशिता में बाधा डालती है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता: सीमित तकनीकी कौशल वाले नागरिकों को बाहर करती है।

डेटा गोपनीयता चिंताएँ: डिजिटल पदचिह्नों में वृद्धि से दुरुपयोग का जोखिम बढ़ता है।

धीमा कार्यान्वयन: अपनाने में नौकरशाही देरी कुछ राज्यों में डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं। आयात पर निर्भरता: डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए आयातित प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता। आगे की राह: ग्रामीण संपर्क का विस्तार: ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों को कवर करने के लिए भारतनेट को मजबूत करना। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 जैसे मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों को लागू करना। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: कौशल अंतर को पाटने के लिए PMGDISHA जैसे लक्षित अभियान शुरू करना। घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करना: डिजिटल हार्डवेयर विनिर्माण के लिए PLI योजनाओं जैसी पहलों का समर्थन करना। निष्कर्ष: भारत की डिजिटल क्रांति नवाचार, समावेशिता और शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। डिजिटल डिवाइड और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का समाधान करके, भारत डिजिटल समाधानों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना रह सकता है। प्रौद्योगिकी और नीति के बीच सहयोगात्मक

तालमेल सशक्त नागरिकों और सतत विकास का भविष्य सुनिश्चित करता है। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन किया है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के बारे में:

उद्देश्य:

पूजा स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त, 1947 को स्थिर रखता है।

इन स्थलों के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इनके धार्मिक रूपांतरण को रोकता है।

प्रमुख प्रावधान:

धर्मांतरण निषेध (धारा 3): संप्रदायों या संप्रदायों के बीच पूजा स्थलों के रूपांतरण की अनुमति नहीं देता है।

धार्मिक चरित्र का रखरखाव (धारा 4): 15 अगस्त, 1947 तक धार्मिक पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

मामलों का उन्मूलन (धारा 4(2)): लंबित कानूनी कार्यवाही को समाप्त करता है और कट-ऑफ तिथि से पहले धर्मांतरण से संबंधित नए मामलों पर रोक लगाता है।

अपवाद (धारा 5):

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत प्राचीन स्मारक।

अधिनियम के समक्ष आपसी समझौते से सुलझाए गए विवाद।

दंड (धारा 6):

उल्लंघन के लिए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना लगाया जाता है।

आई.एन.एस. तुशील

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में परियोजना 1135.6 के अंतर्गत एक स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट आई.एन.एस. तुशील को चालू करेंगे।

आई.एन.एस. तुशील के बारे में:

आई.एन.एस. तुशील परियोजना 1135.6 फ्रिगेट के उन्नत क्रिवाक III वर्ग का हिस्सा है। यह इस श्रृंखला का सातवाँ जहाज है।

निर्मित: यंतर शिपयार्ड, कलिनिनग्राद, रूस।

अनुबंध: अक्टूबर 2016 में भारतीय नौसेना, जे.एस.सी. रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित।

मुख्य विशेषताएं:

विनिर्देश: 125 मीटर की लंबाई और 3,900 टन का विस्थापन।

स्टील्थ डिज़ाइन: रडार-अवशोषित सामग्री और पता लगाने की क्षमता को कम करने के लिए एक उन्नत पतवार डिज़ाइन को शामिल करता है।

गति: 30 नॉट से अधिक की गति में सक्षम।

हथियार प्रणाली: उन्नत एंटी-सरफेस और एंटी-एयर युद्ध के लिए निर्देशित मिसाइलों, उन्नत रडार और हथियार प्रणालियों से लैस।

हेलीकॉप्टर डेक: नौसेना के हेलीकॉप्टरों के संचालन का समर्थन करता है, जिससे इसकी बहु-भूमिका क्षमताएँ बढ़ती हैं।

युद्ध बहुमुखी प्रतिभा: एंटी-सरफेस, एंटी-एयर और एंटी-पनडुब्बी युद्ध पर केंद्रित।

महत्व:

रणनीतिक संपत्ति: भारत की समुद्री सुरक्षा और नौसेना की मारक क्षमता को मजबूत करता है।

इसमें भारतीय और रूसी दोनों तकनीकें शामिल हैं, इसके निर्माण में भारतीय घटकों का योगदान 26 प्रतिशत है।

भारत-रूसी सहयोग: भारत और रूस के बीच मजबूत सैन्य और तकनीकी सहयोग पर प्रकाश डालता है।

आधुनिकीकरण: अत्याधुनिक तकनीक के साथ भारत की नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाता है।

क्षेत्रीय स्थिरता: भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के भारत के प्रयासों में योगदान देता है।

नेफिथ्रोमाइसिन

भारत ने देश के पहले स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, नेफिथ्रोमाइसिन के विकास के साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में:

बायोटेक इंडस्ट्री प्रोग्राम के तहत बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) के समर्थन से वॉकहार्ट लिमिटेड द्वारा विकसित।

उद्देश्य:

समुदाय-अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया (CABP) से लड़ना और दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों का समाधान करना।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वैश्विक और राष्ट्रीय बोझ को कम करना।

प्रभावशीलता:

एज़िथ्रोमाइसिन जैसे मौजूदा उपचारों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी।

तीन-दिवसीय उपचार व्यवस्था प्रदान करता है, जो रिकवरी समय को काफी कम करता है।

विशिष्ट और असामान्य दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी, बेहतर सुरक्षा और न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ।

महत्व:

अपनी श्रेणी में पहला: 30 से अधिक वर्षों में एक नए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की पहली वैश्विक शुरूआत को चिह्नित करता है।

एएमआर को संबोधित करता है: बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों को प्रभावित करने वाले एएमआर-संबंधी संक्रमणों से निपटने में एक महत्वपूर्ण उपकरण।

मनामा वार्ता

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बहरीन में 20वीं मनामा वार्ता में भाग लिया, जिसमें गाजा से लेकर सीरिया तक मध्य पूर्व में चुनौतियों का समाधान करने में भारत के कूटनीतिक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

मनामा वार्ता के बारे में:

उत्पत्ति: 2004 में बहरीन साम्राज्य में शुरू किया गया।

शामिल राष्ट्र: मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका।

बहरीन के विदेश मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान (IISS) द्वारा आयोजित।

उद्देश्य:

राष्ट्रीय नेताओं, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विचारकों को क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक मंच प्रदान करना।

भू-राजनीति, सुरक्षा प्रवृत्तियों और संघर्ष समाधान पर नीतिगत चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना।

2024 थीम: "क्षेत्रीय समृद्धि और सुरक्षा को आकार देने में मध्य पूर्व नेतृत्व"

भारतीय उद्योग परिसंघ

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने 2024-25 के लिए 4.9% और 2025-26 के लिए 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में:

उत्पत्ति: 1895 में एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित।

मंत्रालय की संबद्धता: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ सहयोग करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

उद्देश्य: औद्योगिक विकास, सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना।

कार्य:

नीति वकालत: औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति-निर्माण पर सरकार के साथ भागीदारी करना।

क्षमता निर्माण: समर्पित उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से नवाचार, स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।

वैश्विक संबंध: लगभग 100 देशों में 300 समकक्ष संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को मजबूत करना।

कॉर्पोरेट नागरिकता: सकारात्मक कार्रवाई, कौशल विकास और सतत विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है।